



राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साईट:- <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

ई.मेल:- hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2706736(O)

क्रमांक:एफ1 (02)विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/पार्ट/21/

दिनांक:-

समस्त प्राचार्य,
राजसेस राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत क्रम में लेख है कि, विद्या संबल योजनान्तर्गत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी को भुगतान किये जाने के संबंध में नोडल महाविद्यालयों को भिजवाये जाने वाले बिलों के साथ निम्न प्रारूप में उनके द्वारा करवाये गये अध्यापन कार्य से संबंधित सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें:-

घंटों के आधार पर शिक्षण कार्य का विवरण

क्र.सं.	नाम	विषय	दिनांक	शिक्षण कार्य (कुल घंटे)

नोट:- विद्या संबल योजनान्तर्गत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी को वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 07.08.2023 की पालना में प्रति घंटा के अनुसार 50 घंटे पूर्ण होते ही भुगतान हेतु नोडल महाविद्यालय को बिल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
02. संबंधित नोडल महाविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि महाविद्यालय से बिल प्राप्त होने के उपरान्त अविलम्ब भुगतान की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
03. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

RajKaj Ref
5099184

